[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

सिपाहियों एवं पी.ए.सी. के द्वारा हरिजनों एवं फल सब्जी व्यवसाइयों की एक बहुत बड़ी भीड़ पर भयंकर लाठी चार्ज किया गया । रात में सोये व्यक्तियों को घर से खींच कर उन्हें बुरी तरह मारा गया । दो हरिजन व्यवसाइयों को पकड़ कर मारते मारते थाने ले जाया गया । थाने में भी उनकी जमकर पिटाई की गई। हरिजनों को घरों में घुस कर पीटा गया 46 हरिजनों को परिणाम-स्वरूप चोटें आईं। 24 बुरी तरह घायल हुए। इस झगड़े का कारण था पुलिस द्वारा एक हरिजन की दुकान से दो मुर्गा लेकर पैसे न देना, दुकानदारों से मुफ्त में चीजें लेना। इससे भी शर्म की घटना तो तब हुई जब उनके साथ सुलह समझौते की बात कर उन्हें घर भेजा गया। न्यायिक जांच बैठाने का आश्वासन दिया गया पर फिर सुबह 8 हरिजन फल सब्जी व्यवसाइयों पर झूठा आरोप लगाकर उनपर फर्जी मुकदमा कायम किया गया। 4 हजार आदमी अपनी फरियाद लेकर जिलाधीश के यहां 6 अगस्त को गए। खेद है कि उन्होंने तुरन्त कार्यवाही करने का आश्वासन देकर भी कुछ नहीं किया ।

मैं इस सन्दर्भ में माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे निहत्थे हरिजनों के ऊपर वाराणसी पुलिस द्वारा किये गये इस बर्बर लाठी चार्ज के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करवायें । भयभीत हरिजन फल सब्जी व्यवसाइयों को पुलिस अत्याचार से रक्षा करायें ।

(ii) THE SILENT VALLEY PROJECT

SHRI K. KUNHAMBU (Cannanore): Mr. Chairman, Sir, under Rule 377 I would like to draw the attention of the House and the Government to a very alarming situation arising out of the decision of the Government in regard to the Silent Valley project. Time and again the Government of Kerala and all the political parties have impressed upon the Government of India about the importance of this project for the future development of Kerala. The hon'ble Prime Minister has assured us that the Government would take a realistic and sympathetic view of this issue.

However, the Government has now taken a view that the Silent Valley project should not be constructed as it would upset the ecological balance. The hon'ble Minister has said that Kerala is producing surplus electricity and therefore the silent valley project need not be taken up. The theory about surplus production of electricity is a myth. It has been proved on the basis of statistics that Kerala per capita consumption of electricity is well below the national average. Responsible people have expressed the apprehension that Kerala will be facing an acute shortage of electricity in the near future unless the silent valley project is constructed.

In this situation, the decision taken by the Government will put out of gear the developmental activities in Kerala. Moreover, all hopes about the development of Malabar region, which is a very backward area, will be shattered. Therefore, I earnestly request the hon'ble Prime Minister to intervene in this matter and allow the Government of Kerala to go ahead with the construction of this vitally important project.

(iii) URDU AS MEDIUM OF INSTRUCTION FOR LINGUISTIC MINORITIES.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Mr. Chairman, Article 350A of the Constitution provides adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups. A special officer for linguistic minorities is also appointed in terms of the provisions of Article 350B.

It is shocking and most unfortunate that in 1976 instruction through Urdu medium was discontinued in an increasingly large number of primary schools in U.P. as compared to the figures in 1974 and 1975.

A letter published in the *Indian Express* issue dated 15th July, 1930 stated that on the attention of the Prime Minister being drawn to the aforesaid situation, she stated in reply that the Central Education Ministry has been asked to look into the matter.

The curtailment of educational facilities to linguistic minorities and the consequent deprivation of Urdu minority to have adequate facilities for instruction in Urdu is a serious matter. The provisions of Article 350A of the Constitution have always to be satisfied.

The matter brooks no delay. I urge upon the Government to look into the matter—Necessary directives be issued to the State Government to secure compliance with the provisions of the Constitution. The Government should make an early statement in the House.

(iv) SUPPLY OF CHEAP RAW MATERIAL TO HANDLOOM WEAVERS.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): सभापति जी, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं ---

"हमारे देश में बुनकरों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। सूत और कैमिकल्स के मूल्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस से पूर हथकरघा उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है तथा इस उद्योग की प्रगति को बाधा पहुंच रही है। यदि सूत और कैमिकिल्स के मूल्यों को कम करने का प्रयास नहीं किया गया तो बहुत से बुनकरों को भयंकर बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेशनल टैक्सटाइल्स कर्पोरेशन के अनेक कारखाने इस समय सूत का उत्पादन बन्द कर दिये हैं और यह कार्य निजी क्षेत्र के कारखानों द्वारा किया जा रहा है जिससे मिल-मालिक सूत का मनमाना दाम ले रहे हैं। अतः सरकार को चाहिये कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उन सभी कारखानों को जो नेशनल टैक्सटाइल्स कार्पोरेशन के अन्तर्गत आते हैं, निर्देश दें कि वे सूत का उत्पादन कार्य पुनः आरम्भ करें जिससे उसके मूल्य में कमी हो सके। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा बुनकारों को सस्ते दामों पर सूत उपलब्ध कराया जाये। वर्ष 72-73 तथा बाद के वर्षों में बुनकरों को बैंकों द्वारा दिये गये कर्जे की वसूली रोकी जानी चाहिए और ब्याज को माफ कर देना चाहियें। गरीब बुनकरों को भुखमरी और बेरोजगारी से बचाने के लिए सरकार को शीघ्र प्रभावशाली कदम उठाने चाहियें।

(v) REPORTED LOCK-OUT IN MODINAGAR TEXTILE MILLS, MODINAGAR.

श्री कृष्णचन्द्र पांडे (खलीलाबाद): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश की मोदीनगर कपड़ा मिल लगभग ढाई-तीन महीने से बंद पड़ी हुई है। मिल प्रबन्धकों द्वारा मजदूरों की जायज मांगों को स्वीकार न कर मिल को बंद कर दिया गया, जबकि बातचीत के द्वारा इस समस्या को हल किया जा सकता था। अब मिल प्रबन्धकों द्वारा नाना प्रकार से मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। मजदूरों के सामने भुखमरी फैली हुई है क्योंकि दो महीने से कोई वेतन नहीं मिला है। 14 हजार मजदूरों के बच्चे अभी स्कूलों में प्रवेश नहीं पा सके हैं जिसके कारण उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा है। मिल प्रबन्धकों द्वारा 14 हजार मजदूरों में से मात्र 3300 मजदूरों को जिनमें अधिकांश नई भर्ती हैं, रखा गया है। प्रबन्धक मजदूर कानूनों का खुला उल्लंघन कर सारा दोष मजदूरों पर मढ़ने के लिए उनसे प्रतिज्ञा पत्र भरवा रहे हैं जिसमें उनसे अपनी गलती मानने तथा भविष्य में हड़ताल न करने की बात कही गई है। नौकरी में न लेने की धमकी दे रहे हैं और अपने गुंडों के सहारे मजदूरों को बुरी तरह से अपमानित एवं भयभीत कर रहे हैं। युवक कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ता जो मजदूरों को पर्याप्त संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें भी प्रबन्धक गुंडों द्वारा जान से मारने आदि की धमकी दे रहे हैं क्योंकि इस हड़ताल के लिए प्रबन्धक दोषी हैं, इसलिए निकाले गये सभी श्रमिकों को सम्पूर्ण वेतन सहित काम पर लिया जाये, लाक-आउट के समय की श्रमिकों को भी सम्पूर्ण हानि की पूर्ति प्रबन्धकों द्वारा की जाए, लाक-आउट खोलने के बाद माफीनामा भरने की शर्तों को